न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 48 / 2014 तारीख रजू:–13.10.2014

जीसीएमएस नंबर:– 2014 / 00114

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

शकुन्तला देवी पत्नि रामलाल जाति मीना, निवासी रेलवे फाटक, मधुबन कॉलोनी, टोंक रोड, खेरदा, सवाई माधोपुर।

वादी–

बनाम

1. कजोड़ पुत्र गजानंद जाति गुर्जर, निवासी बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कॉर्पोरेशन बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. आत्माराम पुत्र गोपालदास बैरागी, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–
वकीलवादी:– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट
वकील प्रतिवादी संख्या 1:–श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2:– एकपक्षीय कार्यवाही
वकील प्रतिवादी संख्या 4:–श्री कुलदीप सिंह मीना, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–19.03.2025

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0 एक्ट

1. यह है कि पूर्व में उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर कब्जे के आधार पर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे के तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में भिवजाने हेतु निर्देशित किया था।
2. यह है कि उक्त प्राथमिक डिक्री के निर्णय की अनुपालना [illegible]र, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 17 दिनांक 09.01.2025 [illegible] रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाया है, जो शामिल पत्रावली है।
3. यह है कि आत्माराम पुत्र गोपालदास बैरागी निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर की ओर से श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट ने वकालत नामा पेश कर एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया, जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.04.01 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

बहस उभयपक्षीय सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 आत्माराम ने एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त तकासमा करवाये जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की एवं तकासमा स्कीम अनुसार तकासमा करवाये जाने हेतु निवेदन किया।

4. वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा नंबर 268 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बांसड़ा के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबरान का तकासमा हेतु वादपत्र न्यायालय में पेश किया है। उक्त प्रकरण में वादिया खसरा नंबर 268 के संबंध में तकासमा का अनुतोष नहीं चाह रही है तथा अन्य खसरा नंबरान का तकासमा करवाना चाहती है। अतः खसरा नंबर 268 रकबा 0.04 वाके ग्राम बांसड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा के संबंध में चाहा गया तकासमा का अनुतोष Delete फरमाने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अनुतोष Delete करने पर बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

5. यह है कि वकील उभयपक्षों ने अपने दावा अनुसार बहस की तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।

6. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

<u>–:आदेश:–</u>

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 2.32 है0, एवं खसरा नंबर 891 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में से संलग्न नक्शे अनुसार वादिया [illegible]कुन्तला देवी पत्नि रामलाल जाति मीना निवासी निवासी रेलवे फाटक, मधुबन [illegible]नी, [illegible] रोड, खेरदा सवाई माधोपुर का नवीन खसरा नंबर 853/2 रकबा 1.16 है0 लगान [illegible].28 एवं खसरा नंबर 891/2 रकबा 0.18 है0 लगान 1.44 कुल हिस्सा 1.34 है0 कुल लगान 10.72 की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादी कजोड़ पुत्र गजानंद जाति गुर्जर, निवासी बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.04.01 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

जिला सवाई माधोपुर का नवीन खसरा नंबर 853/1 रकबा 0.89 है0 लगान 7.12, खसरा नंबर 891/1 रकबा 0.17 है0 लगान 1.36 कुल हिस्सा 1.06 कुल लगान 8.48 की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने एवं प्रतिवादी आत्माराम पुत्र गोपालदास बैरागी, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर का नवीन खसरा नंबर 853/3 रकबा 0.27 है0 लगान 2.16 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नंबर 268 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0 बाड़ा पूर्व अनुसार यथावत रखा जाये। जिन खातेदारों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है, तो उस रहन का अंकन संबंधित सहखातेदार के हिस्से में प्रस्तावित खसरा नंबर के विरूद्ध किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के हिस्से की उक्त भूमि के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करे। उभयपक्ष अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.04.01 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested